आदेश से रोकर

8.6.16

मदन लाल पुत्र वादी

पत्रावली वादी नम्बर आरजिया पर पेश। वादी उपस्थित होकर बताया की ग्राम आरजिया में साबिक जमाबंदी 2025 स 2028 के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1050/1 रकबा 3 बीघा थी तथा भूमि का सेटलमेन्ट के पश्चात नये नम्बर 1851 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा खिलाफ ~~[illegible]~~ गैरकानूनी कर दिया गया जिसमें सेटलमेन्ट के पश्चात वादी के नाम पर कटा नम्बर डालते हुवे 2434/185 रकबा 1.12 बिस्वा भूमि जो वादी के नाम पर कर दी गई शेष भूमि वादी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हुई पुरानी नई जरीब का अन्तर निकालने पर साबिक रकबा के मुताबिक नये रकबा 2.11 बीघा भूमि दर्ज होनी चाहिये इसके बजाय 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि ही दर्ज हुई इस प्रकार वादी की 19 बिस्वा भूमि कम दर्ज हुई है अतः रेकार्ड दुरुस्ती कर 19 बिस्वा वादी के नाम खातेदार घोषित किया जावे।

~~[illegible]~~ नकल के मुताबिक मौका रेकार्ड अनुसार नायब तहसीलदार ने बताया की राजस्व रेकार्ड के अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज भूमि पर काबजा 1.12 बिस्वा पर है नक्शे में रेकार्ड अनुसार पूर्ण तरमीम है। पत्रावली बाद रवाना किया जावे।

वाद पत्र प्रमाणों का अवलोकन किया गया, वादी की बहस सुनी गई।

अतः वादी वर्तमान में ग्राम आरोलिया की ख.नं. 2434/185 रकबा 1.12 बिस्वा पर काश्तकार मौके पर काबिज है राजस्व रिकार्ड नकलों में तरमीम सही की व रिकार्ड में अंकित मौके अनुसार धापों का कब्जा है फिर भी कब्जा नहीं है राजस्व नक्शे में तरमीम रिकार्ड अनुसार है।

अतः वादी का वाद पत्र सिद्ध नहीं होने से वाद पत्र अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है।

आज यह निर्णय कोर्ट कैम्प आरोलिया में खुले आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से दाखिल हो।

(उम्मेद सिंह राजावत)
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, [illegible]

प्रपत्र–5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह राजावत R.A.S.

श्री राधा किशन पिता मोहनदास बैरागी (वैष्णव) [illegible] **उनवान** (1) श्री रूपचन्द [illegible] जाट (2) " देवा पिता [illegible] (3) तहसीलदार भीलवाड़ा

दावा बाबत 88, 89 [illegible] बनाम

मुकदमा नम्बर :– R.T.A. 48/15

निर्णय दिनांक :– 8.6.16

वादी की ओर से स्वयं की व प्रतिवादी की ओर से — की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 8.6.15 को [illegible] (नाम पीठासीन अधिकारी) भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद पत्र सिद्ध नहीं होने से वाद पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 8.6.16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

(उम्मेद सिंह राजावत)
(लोक अदालत
पीठासीन अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा
पदेन सहायक कलक्टर.......

वादी	वाद के खर्चे	
[illegible]		